रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260] नई दिल्ली, सोमवार, जून 21, 2004/ज्येष्ठ 31, 1926
No. 260] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 2004/JYAISTHA 31, 1926

ऊर्जा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2004

सा.का. नि. 371(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (म) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम के अधीन सूचना, आदेश या दस्तावेज के परिदान की रीति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना, आदेश या दस्तावेज परिदान करने के साधन नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :**—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है,

(ख) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. **सूचना, आदेश या दस्तावेज को परिदान करने के साधन :**—इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत प्रत्येक सूचना, आदेश या दस्तावेज, जो किसी व्यक्ति को संबोधित हो, धारा 171 की उपधारा (1) में उपबंधित साधनों के अतिरिक्त होगा, निम्नलिखित किन्हीं भी साधनों द्वारा भी परिदत्त किए जा सकेंगे :—

(क) विशेष संदेशवाहक के माध्यम से और हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति अभिप्राप्त करके; या

(ख) टैलीग्राफिक संदेश द्वारा; या

(ग) फैक्स द्वारा; या

(घ) ई-मेल द्वारा।

[फा. सं. 23/7/2004-आर एण्ड आर]

अजय शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2004

G.S.R. 371(E).—In exercise of the powers conferred by clause (y) of sub-section (2) of Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules regarding the manner of delivery of notice, order or document under the Act, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Means of Delivery of Notice, Order or Document Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003;

(b) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expression used and not defined in these rules but defined in the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. **Means of delivery of notice, order or document.**—Every notice, order or document by or under this Act required, or authorised to be addressed to any person may in addition to the means provided in sub-section (1) of Section 171 may also be delivered by any of the following means :—

(a) through special messenger and obtaining signed acknowledgement; or

(b) by telegraphic message, or

(c) by fax, or

(d) by e-mail.

[F. No. 23/7/2004-R & R]

AJAY SHANKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.